(160)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प :— उज्जैन

रिवीजन कमांक / 2013—14 R-109-I/14

मोहनलाल पिता फूलचंन्द पोरवाल निवासी ग्राम झार्डा तहसील महिदपुर जिला उज्जैन........आवेदक

विरूद्व

1. ओमप्रकाश पिता फुलचंद पोरवाल,
2. रमेशचन्द्र पिता फुलचद पोरवाल, निवासीगण ग्राम झार्डा, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन ....अनावेदकगण

विषय :—<u>न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त उज्जैन सम्भाग उज्जैन द्वारा द्वितीय अपील कमांक 97/2012—13 के विरूद्व पुनःरीक्षण आवेदम पत्र अर्न्तगत धारा 50 मप्रभूरासं 1959 ।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की और से निम्नानुसार पुनःनिरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है :—

1. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पाडल्या तहसील महिदपुर में आवेदक एवं अनावेदकगण के नाम पर कृषि भूमी सर्वे कमांक 307 रकबा 1.70 हेक्टर स्थित है अनावेदकगण द्वारा मप्रभूरासं के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भूमी का आपसी विभाजन के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अंकन 1/3 के मान से इस आधार पर करने हेतु प्रस्तुत किया है कि उनके मध्य 1/3 के मान से पूर्व से ही आपसी विभाजन होकर अपनी अपनी भूमी पर काबिज है। इस कारण उनका राजस्व अभिलेखों मे प्रथक से अंकन कर प्रथक से ऋण पुस्तिका प्रदान की जावें । जिस पर से अधिनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 34—अ—27/2009—10 पंजीबद्व कर विज्ञप्ती जारी की गई जिसमें आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण के पूर्व के आपसी विभाजन को इंकार किया गया एवं अन्य गांव की भूमीयों के सम्बन्ध में आपत्तियां उठाई गई जिस पर से तहसील न्यायालय द्वारा बंटवारा फर्द बुलवाई गई जिस पे पुनः आवेदक की और से उक्त बंटवारा फर्द सही नही होने एवं जिस प्रकार 1/3 अंश को बंटवारा कर बंटवारा फर्द के साथ नक्शा में दर्शाया गया हिस्सा अनावेदकगण को बंटवारा फर्द में बताया गया वह सही नही होने से तथा बंटवारा फर्द में अपनी सहमति नही होने से आपत्ती प्रस्तुत की गई है जिस पर बगैर किसी साक्ष्य का अवसर दिये पटवारी से प्राप्त बंटवारा फर्द के आधार पर दिनांक 03.09.2011 को आदेश पारित कर बंटवारा फर्द अनुसार विभाजन स्वीकार कर दिया गया जिससे असंतुष्ट होकर आवेदक ने प्रथम अपील श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय,महिदपुर के समक्ष बगैर समुचित सुनवाई के दिनांक 05.09.2012 को अपील निरस्त कर दी गई एवं तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 03.09.2011 स्थिर रखा गया इससे

मोहनलाल

निरन्तर .....2 पर

(१८०)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

(114)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-109-एक/2014

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 21-04-2017 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	